(25)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयाल
प्रशासकीय सदस्य

विविध अवमानना प्रकरण कमांक 967–एक/2012 जो कि इस न्यायालय द्वारा पारित स्थंगन आदेश दिनांक 26.12.2011 का पालन अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नहीं किये जाने से उत्पन्न हुआ ।

.....

अमृतलाल आ0 बिहारीलाल
निवासी–ग्राम डूंगरपुर तहसील खुजनेर
जिला–राजगढ़ (ब्यावरा) म0प्र0 ——— आवेदक

विरूद्ध

1– नायब तहसीलदार
टप्पा खुजनेर तहसील एवं जिला राजगढ़
2– भंवरलाल आ0 छीतालाल
3– पर्वतसिंह आ0 हीरालाल
निवासी–ग्राम डूंगरपुर तहसील खुजनेर
जिला–राजगढ़ (ब्यावरा) म0प्र0 ——— अनावेदकगण

.....

श्री प्रेमसिंह ठाकुर, अभिभाषक, आवेदक
अनावेदकगण एकपक्षीय

.....

: : आ दे श : :

(आज दिनांक 10/12/14 को पारित)

– – –

यह विविध प्रकरण अवमानना अधिनियम की धारा 10 एवं 12 के अंतर्गत इस न्यायालय द्वारा पारित स्थंगन आदेश दिनांक 26.12.2011 का पालन अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नहीं किये जाने के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया है ।

2/ प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि आयुक्त भोपाल संभाग भोपाल के प्रकरण क्रमांक 159/अपील/2010–11 में पारित आदेश दिनांक 04.10.2011 के विरूद्ध एक निगरानी प्रकरण क्रमांक 2083–एक/2011 इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जिसमें स्थंगन आदेश दिनांक 26.12.2011 इस न्यायालय द्वारा पारित किया जाकर आयुक्त भोपाल संभाग के विवादित आदेश दिनांक 04.10.2011 का क्रियांवयन स्थगित किये जाने के आदेश

दिये गये, किन्तु अनावेदक क्रं0 1 द्वारा विवादित भूमि के संबंध में रास्ता खुलवाने की कार्यवाही नहीं हुई । रास्ता नहीं खोले जाने के विरूद्ध आवेदक द्वारा यह अवमानना प्रकरण इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है ।

3/ आवेदक के अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से यह तर्क प्रस्तुत किया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध निगरानी इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की है, जो कि प्रकरण क्र0 निगरानी 2083–एक/2011 में दर्ज होकर सुनवाई के लिए विचाराधीन है । आवेदक द्वारा इस न्यायालय के समक्ष निगरानी के साथ पृथक से स्थंगन आदेश हेतु आवेदन पत्र भी प्रस्तुत किया गया है । इस न्यायालय ने दिनांक 26.12.2011 को आवेदक द्वारा प्रस्तुत स्थंगन आवेदन पत्र पर तर्क श्रवण करने के उपरांत आयुक्त भोपाल संभाग भोपाल द्वारा पारित आदेश के क्रियांवनयन को प्रकरण के अन्तिम निराकरण तक स्थगित करने के आदेश दिये गये है । अनावेदकगण को इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश की भलिभांति जानकारी है जो अनावेदकगण पर बंधनकारी है । परन्तु अनावेदकगण द्वारा अपनाये जा रहे रवैये से ऐसा प्रतीत होता है कि वह इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश का पालन नहीं करना चाहते है । इसलिये यह आवश्यक है कि अनावेदकण के विरूद्ध न्यायालय की अवमानना कि कार्यवाही की जावे जिससे कि अनावेदकगण भविष्य में न्यायालय द्वारा पारित किसी भी आदेश की अवमानना का प्रयास न कर सके ।
आदेश तथा आयुक्त भोपाल संभाग भोपाल द्वारा पारित आदेश निरस्त करते हुये निगरानी स्वीकार किये जाने का अनुरोध किया है ।

4/ अनावेदक की ओर से सूचना उपरांत कोई उपस्थित नहीं । उन्हें एकपक्षीय किया गया है ।

5/ आवेदक के विद्वान अधिवक्ता के तर्को पर विचार किया एवं प्रस्तुत अभिलेख का अवलोकन किया गया । मूल निगरानी प्रकरण में इस न्यायालय द्वारा अन्तिम आदेश पारित कर आयुक्त के प्रत्यावर्तन आदेश की पुष्टी की जा चुकी है । तदनुसार ही प्रकरण में आग्रिम कार्यवाही न्यायोचित होगी । फलतः यह अवमानना प्रकरण समाप्त किया जाता है ।

(मनोज गोयल)
प्रशासकीय सदस्य,
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर